संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

स्वशासी चिकित्सा महाविघालय, सागर में 13, 14 एवं 15 अक्टूबर,09 को आवंटन पश्चात् रिक्त सीटों पर एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति प्रसारित करने बाबत्

विज्ञप्ति

मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में प्रवेश हेतु अंतिम तिथी 20.10.09 निर्धारित की गई है । मान्0 उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा विभिन्न प्रकरणों में अनंतिम आदेश पारित कर स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर के उम्मीदवारों को चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में प्रवेश की अनुमति दी गई है । मान्0 उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा सुनवाई की अगली तिथी 20.10.09 निर्धारित की गई है । दिनॉक 20.10.09 मान्0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में प्रवेश की अतिम तिथी होने के कारण संभावित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए **दिनॉक 20.10.09 को गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में प्रातः 10.30 बजे काउन्सिलिंग का आयोजन किया गया है,** जिसमें मान्0 उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनॉक 20.10.09 को जो भी निर्देश दिए जायेंगे उसके अनुसार प्रवेश के संबंध में कार्यवाही की जावेगी ।

संभावित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए समस्त श्रेणी के निम्न उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे दिनॉक 20.10.09 को प्रातः 10.30 बजे गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में उपस्थित होंवे जिससे किसी भी परिस्थिति में सीटें रिक्त होंने पर आवंटन की कार्यवाही उसी दिन की जा सकेगी ।

दिनॉक	कार्यक्रम	उम्मीदवारों की श्रेणी / संवर्ग का नाम जिन्हें उपस्थित होना है	वे उम्मीदवार जिन्हें काउन्सिलिंग में उपस्थित होना है
20.10.09 समय प्रातः10.30 से	स्कूटनी एवं आवंटन	अनुसूचित जनजाति (ओपन)	समस्त आप्ट फॉर वेटिंग अनुपस्थित तथा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण अपात्र घोषित उम्मीदवार उचित अभिलेखों के साथ भाग ले सकते है । एवं मेरिट क्र0 195 से 200 तक
		अनुसूचित जाति (ओपन)	समस्त आप्ट फॉर वेटिंग अनुपस्थित तथा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण अपात्र घोषित उम्मीदवार उचित अभिलेखों के साथ भाग ले सकते है । एवं मेरिट क्र0 212 से 250 तक

		ओबीसी (ओपन)	समस्त आप्ट फॉर वेटिंग अनुपस्थित तथा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण अपात्र घोषित उम्मीदवार उचित अभिलेखों के साथ भाग ले सकते है । एवं मेरिट क्र0 200 से 220 तक
		अनारिक्षित श्रेणी के एमपी, (सैनिक) एफ.एफ. (स्वतंत्रता सैनानी) एवं पीएच (विकलांग)	समस्त पात्र उम्मीदवार
		अनारक्षित (ओपन)	समस्त आप्ट फॉर वेटिंग अनुपस्थित तथा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण अपात्र घोषित उम्मीदवार उचित अभिलेखों के साथ भाग ले सकते है । एवं मेरिट क्र0 546 से 650

काउन्सिलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी/निर्देशः–

1. मान्0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, सागर हेतु प्रवेश की अंतिम तिथी 20.10.09 निर्धारित की गई है । अतः जिन उम्मीदवारों द्वारा उपरोक्त काउन्सिलिंग से प्रवेश लिया जाता है उन्हें उसी दिवस निर्धारित फीस जमा करना होगी तथा मूल दस्तावेज भी चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के प्रतिनिधि को जमा करवायें जाना आवश्यक है । जो उम्मीदवार शासकीय/स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में अध्ययनरत् है उन्हें प्रवेश हेतु मूल दस्तावेजन जमा करवाने की बाध्यता नहीं होगी किन्तु संबंधित महाविद्यालय का दस्तावेजों संबंधी प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा ।

2. उपरोक्त काउन्सिलिंग संभावित रिक्तियों के आधार पर आयोजित की जा रही है । अतः संबंधित श्रेणी/संवर्ग में सीट उपलब्ध होने पर ही आवंटित की जा सकेगी ।

3. पीएमटी प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउंसिलिंग मे उपस्थित होने पर जिनका आवंटन निजि दंत एवं चिकित्सा महाविघालय में प्राप्त होता है ऐसे उम्मीदवार सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार, जिनके माता–पिता/संरक्षक की आय रूपये 1.80 लाख से अधिक है,

वे रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट ''संचालक चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल'' के पक्ष में देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा । तदनुपरांत ही उम्मीदवार को आवंटन पत्र प्रदान किया जावेगा ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा 2009 के बिन्दु क्र. 16.6 के अनुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सैट के बगैर काउंसिलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी ।

किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जायेगी ।

1– यदि उल्लेखित काउंसिलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसिलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।

2– एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसिलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश